निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 100/2017 दावा
दायरा दिनांक 04.09.2017
निर्णय दिनांक :– 8.7.21

उनवान

पाना बाई पुत्री श्री पन्ना पत्नि श्री गोवरीलाल जाति बैरवा निवासी मॉंगरोल हाल मदनजी माली की वाडी शिवाजी नगर बारां जिला बारां (राज.)

बनाम

1. छोटी पुत्री पन्ना पत्नि श्री मदनलाल जाति बैरवा निवासी गुजेरा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 8.7.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री महेश गोतम – वादी
2 श्री पिंकेश अग्रवाल – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर. टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वादिया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 769 रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 770 रकबा 1.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 787 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 795 कवा 1.25 हेक्टेयर, खसरा नंबर 799 रकबा 0.75 हेक्टेयर, खसरा नंबर 827 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 828 रकबा 0.45 हेक्टेयर, कुल 7 किता रकबा 4.92 हेक्टेयर वाके माल कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां में स्थित है, जिसमें छोटी, पानाबाई, पुत्रियां पन्ना हिस्सा 1/2 पाना पुत्री पन्ना हिस्सा 1/4 पाना जोजे गोबरीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात वादिया की पुश्तैनी आराजीयात है, जिसके हॉल सेटलमेण्ट से पूर्व खसरा नंबर 724 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 633 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 640 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 644 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर, 664 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल 5 किता रकबा 30 बीघा थे, जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 तक मे मेरी बेवा बिशन शंकरी बैवा ग्यारसीराम हिस्सा 1/2 व पाना, छोटी बेटी पन्ना हिस्सा 1/2 के रूप में दर्ज हो रही है।

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned by CamScanner

विवादित आराजियात वादिया की पुश्तैनी पारिवारिक आराजीयात होने के कारण आराजी के खातेदारान भैरी, शंकरी व वादिया एवं छोटा के मध्य आराजी का पारिवारिक बटवारा दिनांक 04.06.1965 को कर लिया तथा मुताबिक बटवारा ग्राम कलमण्डा की 10 बीघा भूमि पानाबाई को, 10 बीघा भूमि छोटाबाई को व 10 बीघा भूमि सुक्खी (बेटी शंकरी) को दे दी गई तथा खातेदार भरी को ग्राम दूँसरा तहसील बारां की 13 बीघा 10 बिस्वा आराजी दे दी गई तथा इसी अनुरुप वादिया व प्रतिवादिया आराजी को काश्त करते चले आ रहे थे। उक्त वर्णित आराजी कुल 7 किता रकबा 4.92 हेक्टेयर मुताबिक पारिवारिक बटवारा वादिया एवं उसकी बहिन छोटा एवं बुआ सुक्खी बराबर–बराबर 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त थी, तथा वादिया की बहिन छोटा जोजे मदनलाल पुत्री पन्ना ने अपना हिस्सा दिनांक 16.06.1965 को 10 बीघा (1/3 हिस्सा) वादिया को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दिया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में मद नंबर 1 वाद पत्र मे वर्णित आराजीया तमे खातेदार छोटी पुत्री पन्ना का नाम हिस्सा 1/4 के रूप में दर्ज है, जबकि पारिवारिक बटवारा दिनांक 04.06.1965 के अनुसार छोटा जोजे मदनलाल अपना हिस्सा 1/3 रकबा 10 बीघा जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र पानाबाई को बेच चुकी है, जिसका रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र छोटाबाई द्वारा दिनांक 16.06.1965 को कर दिया तथा बेचान की दिनांक से ही वादिया उक्त छोटाबाई के हिस्सा 10 बीघा पर काबिज काश्त व स्वामित्व धारण किये हुए है, तथा छोटाबाई के बेचानशुदा आराजी को अपने खाते दर्ज करवा कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने की अधिकारणी एवं नालिशी है।

विवादित आराजीयात के खातेदार के रूप में छोटा पुत्री पन्ना का नाम दर्ज होने से वादिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह सरकारी सुविधाओ एवं मुआवजा एवं कृषि ऋण प्राप्त नही कर पा रही है, तथा कर्जा पिलाई के लिए भी काफी परेशानी आती है। वादिया तहसीलदार बारां प्रतिवादी क्रम 2 से छोटाबाई पुत्री पन्ना का नाम हटवाने बाबत् कई बार निवेदन कर चुकी है, लेकिन वह ध्यान नही दे रहे है। इस कारण वादिया अपने हक अधिकारों की घोषणा करा पाने की अधिकारणी है। वाद कारण वादिया द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 तहसीलदार बारां से छोटाबाई का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर बमुकाम बारां एवं अंतिम बार नोटिस धारा 80 जा. दी. का दिनांक 18.08.2017 को प्रेषित करने पर उत्पन्न हुआ। वादिया द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से श्री पिंकेश अग्रवाल का वकालत नामा पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम कलमण्डा सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 164 पेश की गई। नकल विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1965, पेश किया गया।

अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्रतिवादिया छोटी बाई द्वारा ग्राम कलमण्डा तहसील बारां की आराजी खसरा नंबर 769 रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 770 रकबा 1.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 787 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 795 रकबा 1.25 हेक्टेयर, खसरा नंबर 799 रकबा 0.75 हेक्टेयर, खसरा नंबर 827 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

नंबर 828 रकबा 0.45 हेक्टेयर कुल किता 7 रकबा 4.92 हेक्टेयर जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नंबर 624 रकबा 12.12 बीघा, खसरा नंबर 633 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नंबर 640 रकबा 7.16 बीघा, खसरा नंबर 644 रकबा 5.02 बीघा, खसरा नंबर 664 रकबा 3.02 बीघा कुल किता 5 रकबा 30 बीघा था। जिसमे प्रतिवादिया छोटी बाई का 1/3 हिस्सा यादि की 10 बीघा था, जिसे छोटी बाई ने रजिस्टर्ड बेचान नामा दिनांक 16.06.1965 को वादिया मृतक पाना बाई पुत्री पन्ना पत्नी गोवरीलाल को बेचान कर कब्जा सोप दिया था। बेचान रजिस्टर्ड दिनांक 16.06.1965 को प्रतिवादिया स्वीकार करती है। वादिया को क्रेता व कब्जाधारी होने से राजस्व रिकार्ड में पाना बाई वादिया के खाते उक्त आराजी दर्ज करने में कोई आपत्ति नही है। वादिया पाना बाई का स्वर्गवास हो जाने से वादीगण 1/1 लगायत 1/11 के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु सहमत है। राजीनामा पेश कर उपरोक्त आराजी खसरा नंबर 769 रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 770 रकबा 1.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 787 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 795 रकबा 1.25 हेक्टेयर, खसरा नंबर 799 रकबा 0.75 हेक्टेयर, खसरा नंबर 827 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 828 रकबा 0.45 हेक्टेयर कुल किता 7 रकबा 4.92 हेक्टेयर वाके ग्राम कलमण्डा तहसील बारां से छोटी बाई प्रतिवादिया का नाम हटाया जाकर छोटी बाई के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश किया गया। राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् को पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। उभय पक्षकारान् राजीनामा पढ व सुनकर स्वीकार किया गया, तथा राजीनामा एवं पत्रावली पर सहमति के आधार पर हस्ताक्षर किये गये, जिनकी पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई। अभिभाषक उभय पक्षकारान् की सहमति एवं सन्तुष्टि के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम कलमण्डा तहसील बारां के खसरा नंबर 769 रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 770 रकबा 1.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 787 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 795 रकबा 1.25 हेक्टेयर, खसरा नंबर 799 रकबा 0.75 हेक्टेयर, खसरा नंबर 827 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 828 रकबा 0.45 हेक्टेयर कुल किता 7 रकबा 4.92 हेक्टेयर में प्रतिवादिया क्रम 1 छोटी बाई के हिस्सा 1/4 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खाते से खारिज किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner